[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं.34/2018- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 10 अगस्त 2018

सा.का.नि.............. (अ) :- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते है कि जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए विवरणी, उक्त नियम के **प्ररुप जीएसटीआर-3 बी** में ऐसे मास के उतरवर्ती मास के बीसवें दिन या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी।

2. **प्ररुप जीएसटीआर-3 बी के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदाय : - प्ररुप जीएसटीआर-3 बी** में विवरणी प्रस्तुत करने वाली प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधो के अधीन रहते हुए अंतिम तारीख के अपश्चात्, जिसको उससे उक्त विवरणी को फाईल करने की अपेक्षा की जाती है, यथास्थिति, इलेक्ट्रानिक रूप से रोकड़ खाता या इलेक्ट्रॉनिक उधार खाता के विकलन करते हुए जैसा कि प्रथम पैरा में विनिर्दिष्ट है, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी.)]

(डॉ.श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार